

11/05/24 पत्रावली पेश हूँ वकील उभय पक्ष अनुपस्थित  
पत्रावली वर्ष 2019 से जवाब में लम्बित है  
जिससे पुनर्निर्धारण होना है कि पत्रावली में आगामी  
कार्यवाही नहीं चाहते हैं। बार-बार आवाज  
लगाकर जाने के बावजूद वकील वादी उपास्थित  
नहीं हुए अतः पुनः अदम हाजिरी व  
अदम पैरवी में अन्तर्गत भाई 9 R3 जादी  
के तहत खारिज किया जाता है पत्रावली  
फैसल आमार होकर वाद शामिल दारिबल  
दफ्तर हो। निर्णय सुनने न्यायालय में सुनाया  
गया।

उपखण्ड अधिकारी  
साँभर लेक

